

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2640 का उत्तर

एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना

2640. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में एक स्टेशन एक उत्पाद (ओएसओपी) योजना शुरू की है;
- (ख) ओएसओपी योजना के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार अधिक पात्र उत्पादों और रेलवे स्टेशनों को जोड़कर ओएसओपी योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इससे समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): जी हां। भारतीय रेल द्वारा 25.03.2022 को 'एक स्टेशन एक उत्पाद' योजना को एक प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था, जिसे धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया गया था।

एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का लक्ष्य देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था के माध्यम से स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थानीय

दस्तकारों, कुम्हारों, बुनकरों, शिल्पकारों आदि को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- भारतीय रेल स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शन, बिक्री और उच्च दृश्यता प्रदान करने के लिए अद्वितीय रूप से डिज़ाइन किए गए बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था करती है।
- उत्पाद श्रेणियां उस स्थान की स्वदेशी/स्थानीय होती हैं और इसमें कलाकृतियां; हस्तशिल्प; कपड़ा और हथकरघा; खिलौने; चमड़े से बने उत्पाद; पारंपरिक उपकरण/यंत्र; वस्त्र; रत्न और आभूषण; क्षेत्र में स्वदेशी रूप से निर्मित/उगाए गए प्रसंस्कृत, अर्ध-प्रसंस्कृत और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं।
- पिरामिड के निचले भाग के व्यक्तियों/वंचितों और कमजोर वर्गों, स्व-सहायता मदद समूहों आदि को इस योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- इस योजना में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क नाममात्र है।
- उन सभी आवेदकों को आबंटन किया जाता है जो इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसमें कोई वित्तीय पात्रता नहीं है।

30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1906 स्टेशनों पर 2170 एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केन्द्र चालू थे और इस योजना के तहत कुल 83,299 प्रत्यक्ष लाभार्थियों ने इस अवसर का लाभ उठाया है।
